फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कार्यालयः– केलवाडा — **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री पृथ्वी सिंह खरवड पुत्र श्री लालसिंह खरवड, पता – ग्राम दांता की भागल, पोस्ट – कांकरवा, तहसील – कुम्भलगढ, जिला – राजसमन्द(राज.) **(ऋणी)**
2. श्री उदयलाल टेलर पुत्र श्री देवीलाल टेलर पताः– ग्राम व पोस्ट केलवाडा तहसील कुम्भलगढ़, जिला – राजसमन्द(राज.) **(जमानती)**

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 21/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 15/09/2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा केलवाडा, राजसमन्द(राज.) में है। प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2020 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 30.05.2013 को ऋण राशि रूपये 2,00,000/– का ऋण लिया था। इस हेतु ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादित किये थें। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पतियॉ, प्रतिभूति करार के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैं:– बंधक अचल सम्पत्ति :– रिहायशी सम्पति पटटा नं. 10, ग्राम दांता की भागल, पोस्ट – कांकरवा, तहसील – कुम्भलगढ, जिला – राजसमन्द (राज.) में स्थित हैं जिसका क्षैत्रफल 748 वर्गफीट है जो कि श्री पृथ्वी सिंह खरवड पुत्र श्री लालसिंह खरवड के नाम से है, ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, प्रदत ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चुक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय हैं। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 29.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 04.02.2020 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अर्न्तगत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये 1,61,085,.75/– अक्षरे एक लाख इकसठ हजार पिच्यासी एवं पैसे पिचहतर मात्र दिनांक 31.01.2020 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति को अपने	

न्यायालय जिला कलक्टर

कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सूपर्द करने का अधिकार प्राप्त हैं। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक हैं। धारा 14(1) के मुख्य अंश – जहॉ किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियन्त्रण में लेने के प्रयोजन के लिए, लिखित में जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा और जिला मजिस्ट्रेट उनको किये गये उस अनुरोध पर (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेंगे और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेंगे। उप–धारा (2) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदमों को लेंगे या लेवा सकेंगे या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेंगे जो उनकी राय में आवश्यक हो सकेगा उप–धारा (3) इस धारा की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट का कोई भी कार्य किस न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष प्रश्नांकित नहीं किया जायेगा। अचल सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार में है, का पता निम्न है बंधक अचल सम्पतिः– रिहायशी सम्पत्ति पट्टा नं. 10, ग्राम– दांता की भागल, पंचायत– कांकरवा, तहसील– कुम्भलगढ़, राजसमंद (राज) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 748 वर्गफीट है जो कि श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री लाल सिंह खरवाड़ के नाम से है। धारा 14 में अति महत्वपूर्ण संशोधन किया गया हैं जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर आदेश पारित करना है, यदि कोई आदेश 30 दिनों के अन्दर पारित नहीं किया जाता है तो विलम्ब के लिए कारण दर्ज करने के पश्चात आदेश 60 दिनों के अन्दर दिया जावेगा। यह संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 16.08.2016 को प्रकाशित किया गया हैं इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा कार्यालय केलवाडा तहसील – कुम्भलगढ, जिला – राजसमन्द(राज.) के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा कार्यालय केलवाडा को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)